

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय:- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का अवधि विस्तार नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2025 अधिसूचित होने तक प्रभावी करने के संबंध में।

राज्य के समग्र एवं समावेशी विकास की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 दिनांक-01.09.2016 के प्रभाव से पाँच वर्षों के लिए लागू की गई थी। उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक-883 दिनांक-29.06.2020 द्वारा इस नीति को 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रभावी किया गया है। उक्त अवधि अब समाप्त होने वाली है। नीति से संबंधित अंशधारकों से प्राप्त अनुरोध एवं परामर्श के आधार पर आवश्यकता अनुसार एक नई नीति का प्रारूप सूत्रण प्रक्रियाधीन है। अतः नई नीति के आने तक वर्तमान नीति के अवधि विस्तार की आवश्यकता है।

2. उक्त के आलोक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका-13 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

यह नीति नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2025 अधिसूचित होने तक प्रभावी रहेगी।

3. इस पर दिनांक-08.04.2025 की मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-27 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(बन्दना प्रेयषी)

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1414

/पटना, दिनांक:- 08/04/2025

सं0सं0-4तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1414

/पटना, दिनांक:- 08/04/2025

सं0सं0-4तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

8/4/2025
सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1414

/पटना, दिनांक:- 08/04/2025

सं0सं0-4तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रतिलिपि :- सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/4/2025
सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1414

/पटना, दिनांक:- 08/04/2025

सं0सं0-4तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रतिलिपि :- उद्योग निदेशक/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पटना, मुजफ्फरपुर एवं उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/4/2025
सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1414

/पटना, दिनांक:- 08/04/2025

सं0सं0-4तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/4/2025
सचिव,

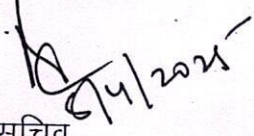
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1414

/पटना, दिनांक:- 08/04/2025

सं0सं0-4तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।


सचिव,

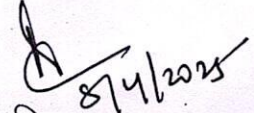
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1414

/पटना, दिनांक:- 08/04/2025

सं0सं0-4तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रतिलिपि :-आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।